निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

1 [प्ररूप 13-घ]

[नियम 23 (1) (घ)देखिए]

निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिए अनुदेश

(लोक सभा या राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में उपयोग में लाया जाए)

.....से ..... के लिए निर्वाचन*

इसके साथ भेजे गए मतपत्र पर जिन व्यक्तियों के नाम मुद्रित हैं वे उपरिवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी है. आप जिस अभ्यर्थी को अपना मत देना चाहतें है. उसके नाम के सामने स्पष्ट रूप से चिन्ह लगाकर अपना मत अभिलिखित करें. चिन्ह इस प्रकार लगाएं जिससे स्पष्टतः और किसी शंका के बिना यह उपदर्शित हो जाए कि किस अभ्यर्थी को आपने अपना मत दिया है. यदि चिन्ह इस प्रकार लगाया गया है जिससे यह शंका हो गई है कि किस अभ्यर्थी को आपने अपना मत दिया है तो आपका मत अविधिमान्य हो जाएगा.

निर्वाचित की जाने वाले सदस्यों की संख्या एक है. कृपया यह भी याद रखें कि आपका केवल एक मत है. तदनुसार आपको एक से अधिक अभ्यर्थी के लिए मत नहीं देना चाहिए. यदि आप ऐसा करें तो आपका मतपत्र प्रतिक्षेपित कर दिया जाएगा.

उस चिन्ह के सिवाय, जिसे मतपत्र पर आपसे अपना मत अभिलिखित करने की अपेक्षा की गई है, उस पर आप न तो हस्ताक्षर करे, न कोई शब्द लिखें, न कोई चिन्ह या संकेत लगाएं और न कोई बात लिखे.

मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात् मतपत्र को आप इसके साथ भेजे गए ''क'' चिन्हित छोटे लिफाफे में रखें लिफाफे को बंद कर दें और उसे मुद्रा लगाकर या अन्यथा सुनिश्चित रूप से बंद कर दें.

1. तब आप प्ररूप 13-क में की घोषणा भी, जो इसके साथ भेजी जा रही है, किसी सांबलिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में हस्ताक्षरित करे और अपने हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन ऐसे सांबलिक मजिस्ट्रेट से कराएं.

2. यदि आप संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य है या राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य हैं किन्तु उस राज्य के बाहर सेवा कर रहे हैं तो अनुप्रमाणन उस आफिसर से कराएं जिसे उस यूनिट, पोत या स्थापन का कमान आफिसर इस निमित्त नियुक्त करें, जिसमें, यथास्थिति, आप या आपका पति नियोजित है.

3. यदि आप भारत सरकार के अधीन भारत के बाहर किसी पद पर नियोजित है तो ऐसे आफिसर से कराएं जिसे उस देश में जिसके आप निवासी हैं, भारत का राजनयिक या कौसलीय प्रतिनिधि इस निमित्त नियुक्त करें.

4. यदि आप निम्नलिखित कोई पद धारण करते हैं, अर्थात् :-

(i) राष्ट्रपति, (ii) उपराष्ट्रपति, (iii) राज्यों के राज्यपाल, (iv) संघ या किसी राज्य के मंत्रिमण्डल के मंत्री, (v) योजना आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य, (vi) संघ या किसी राज्य के राज्य मंत्री, (vii) संघ या किसी राज्य के उपमंत्री, (viii) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष, (ix) किसी राज्य विधान परिषद् का सभापति, (x) संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल, (xi) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा का उपाध्यक्ष, (xii) राज्य सभा या किसी राज्य विधान परिषद् का उपसभापति, (xiii) संघ या किसी राज्य के संसदीय सचिव, तो अनुप्रमाणन ऐसे आफिसर से कराएं जो यथास्थिति, संघ या राज्य की सरकार के उपसचिव की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का नहीं है.

5. यदि आप निर्वाचन-कर्त्तव्यारूढ़ हैं तो अनुप्रमाणन किसी समुह क या समुह ख अधिकारी से या उस मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी से कराएं जिसमें आप निर्वाचन कर्त्तव्यारूढ़ हैं. निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कोई मतदाता जो डाक मतपत्र का विकल्प चुनता है, वह अपना डाक मतपत्र प्राप्त करेगा, उस पर अपना मत रिकार्ड करेगा और रिटर्निंग आफिसर द्वारा लिखित में यथाविनिर्दिष्ट सुविधा केन्द्र पर उसे वापस करेगा।

6. यदि आप निवारक निरोध के अधीन हैं तो अनुप्रमाणन उस जिले के अधीक्षक से या उस निरोध शिविर के समादेशक से कराएं जिसमें आप निरोधाधीन हैं.

उपरोक्त सभी मामलों में आप घोषणा को प्राधिकृत आफिसर के पास ले जाएं और आपकी अनन्यता के बारे में जब उसका समाधान हो जाए तब उसकी उपस्थिति में उसे हस्ताक्षरित करें. आफिसर आपके हस्ताक्षर को अनुप्रमाणित करेगा और घोषणा आपको लौटा देगा. आपको अपना मतपत्र

---

1 अधिसूचना सं. का. आ. 961 (अ), तारीख 29 दिसम्बर 1986 द्वारा प्ररूप 13 घ के स्थान पर प्रतिस्थापित.

निर्वाचन को समुचित विशिष्टयां यहां स्थापित करे.

अनुप्रमाणनकर्ता आफिसर को नहीं दिखना चाहिए और न उसे यह बताना चाहिए कि आपने किसके पक्ष में मत दिया है.

यदि आप निरक्षरता, अन्धेपन या अंग शैथिल्य के कारण उस रीति से, जो ऊपर उपदर्शित है, स्वयं मतपत्र चिहिन्त करने और अपनी घोषणा हस्ताक्षरित करने में असमर्थ है तो आप उपरिलिखित किसी प्राधिकृत आफिसर द्वारा, अपनी ओर से अपना मत चिन्हित कराने और अपनी घोषणा हस्ताक्षरित कराने के लिए हकदार है. ऐसा आफिसर आपकी प्रार्थना पर आपकी उपस्थिति में, और आपकी इच्छा के अनुसार मतपत्र चिन्हित करेगा वह इस निमित्त आवश्यक प्रमाणपत्र भी भर कर पूरा कर देगा.

आपकी घोषणा हस्ताक्षरित किए जाने और आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित किए जाने के पश्चात् आप प्ररूप 13 क वाली घोषणा और साथ ही मतपत्र अन्तर्विष्ट करने वाला "क" चिन्हित छोटा लिफाफा, "ख" चिन्हित बड़े लिफाफे में रखे बड़े लिफाफे को बंद करने के पश्चात् आप उसे रिटर्निंग आफिसर को डाक द्वारा या संदेशवाहक द्वारा भेज दें. आपको "ख" चिन्हित लिफाफे में उपबंधित स्थान पर पूरे हस्ताक्षर करने हैं.

यदि लिफाफा भारत में डाक से भेजा जाता है तो कोई भी डाक टिकट आपके द्वारा लगाया जाना आवश्यक नहीं है. किन्तु यदि आप ऐसे निर्वाचक है जो भारत के बाहर किसी पद पर भारत सरकार के अधीन नियोजित है तो उस दशा को छोड़कर, जिसमें यह लिफाफा राजनयिक डाक - थैले में भेजा जाता है, आपको चाहिए कि जिस कार्यालय में आप सेवा कर रहे है उसके द्वारा उस पर अपेक्षित डाक टिकट लगवाने के बाद उसे हवाई डाक से सीधे संबध्द रिटर्निंग आफिसर को लौटा दें.

आप यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि लिफाफा रिटर्निंग आफिसर के पास.....**को .....**बजे से पूर्व पहुंच जाए.

कृपया यह भी ध्यान रखें कि-

(i) यदि आप अपनी घोषणा ऊपर उपदर्शित रीति से अनुप्रमाणित या प्रमाणित कराने में असफल रहते है तो आपका मतपत्र प्रतिक्षेपित कर दिया जायेगा, तथा

(ii)-यदि लिफाफा रिटर्निंग आफिसर के पास.....**को .....**बजे के पश्चात् पहुंचेगा तो आपके मत की गणना नही की जाएगी.

**(यहाँ मतगणना के प्रारंभ के लिए नियत समय और नियत तारीख विनिर्दिष्ट कीजिए)